न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाब<u>डा</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—330 / 2016</u> संर्थित दिनांक 29.04.2016 फाईलिंग नं.—234503003522016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – अभियोजन

/ / विरुद्ध / /

- 1.भोजराज बोपचे पिता पूनाराम बोपचे, उम्र 26 वर्ष
- 2.पूनाराम बोपचे पिता शिवराम बोपचे, उम्र 60 वर्ष
- 3.श्रीमती पुष्पाबाई पति पूनाराम बोपचे, उम्र 45 वर्ष सभी निवासी सायल थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 4.सविता चौहान पिता ऐठूलाल चौहान, उम्र 21 वर्ष निवासी मशीनटोला रूपझर थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ <u>आरापागण</u>

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक 24/03/2018 को घोषित)</u>

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए, 323/34, 506 भाग—दो के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.03.16 एवं उसके पूर्व से थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम सायल में फरियादी ज्योति बोपचे के पित व नातेदार होते हुए फरियादी ज्योति बोपचे से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार कर सह आरोपीगण के साथ मिलकर आहत ज्योति बोपचे को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत ज्योति बोपचे को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थिया ज्योति बोपचे ने थाना आकर दिनांक 13.03.16 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सायल रहती है और घरेलू कार्य करती है। उसकी शादी करीब 5—6 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से भोजराज बोपचे के साथ हुई थी। 3—4 साल

तक उसके पित उसे अच्छे से रखे इसी बीच उसे एक बेटा हुआ। एक वर्ष करीब से उसके पित भोजराज उसे छोटी—छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित करते रहा है वह घटना दिनांक से चार दिन पहले उसके पित के साथ एक लड़की सिवता घर में आयी है जो घर पर ही रहती है। लड़की सिवता के आने पर से उसके पित का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका है। उसे शंका है कि कहीं उसके पित उसे अपनी पित्न ना बना ले। उसका पित आये दिन दहेज व पैसों की मांग को लेकर प्रताड़ित करता रहता है तथा शादी के समय गाड़ी मांग करने पर मोटर सायिकल उसके पिता द्वारा दहेज में दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी उसके सास—ससुर एवं पित मिलकर तीनों गाली—गलौच कर प्रताड़ित करते रहते है।

- 3— अभियोजन कहानी अनुसार दिनांक 12.03.16 को उसके पित दोपहर 12:00 बजे करीब कहीं से घर वापस आकर पूर्व की बातों को लेकर बिना कारण के मारपीट करने लगे, मारपीट करते समय सिवता भी हाथ—मुक्कों से मारपीट की है और सभी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसने अपनी जान बचाकर पड़ोस के घर में चली गई थी और घटना की बात फोन द्वारा अपनी मॉ हेमलता, पिताजी कोमल प्रसाद हिरनखेड़े को बतायी तथा दिनांक 13.03.16 को उसके पिता के सायल आने पर साथ में रिपोर्ट करने आई है। उक्त रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 41/16 धारा—498ए, 323, 506, 34 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी—नक्शा, जप्ती, प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र कमांक 41/16 तैयार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- 4— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए, 323/34, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान प्रार्थिया ज्योति बोपचे ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323/34, 506 भाग—दो के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए शमनीय न होने से विचारण किया गया।

5- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 12.03.16 एवं उसके पूर्व से थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम सायल में फरियादी ज्योति बोपचे के पति व नातेदार होते हुए फरियादी ज्योति बोपचे से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

- 05— साक्षी ज्योति बोपचे अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी भोजराज उसका पित है, जबिक आरोपी पूनाराम तथा पुष्पाबाई उसके सास—ससुर एवं आरोपी सिवता उसके पित की पिरिचित है। आरोपी भोजराज से उसका विवाह 07 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपीगण के साथ निवासरत है और उसे उनसे कोई शिकायत नहीं है। करीब दो वर्ष पूर्व आरोपीगण के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उनके विरूद्ध थाना मलाजखंड में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा मौका—नक्शा प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर है। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उक्त बात बता दी थी। आरोपीगण उससे मारपीट नहीं करते। आरोपीगण द्वारा कभी उसे प्रताडित नहीं किया गया।
- 06— साक्षी ज्योति बोपचे अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि शादी के करीब तीन वर्ष पूर्व उसके पित उसे छोटी—छोटी बातों को लेकर परेशान करते थे और उसके कुछ कहने पर सास—ससुर भी प्रताड़ित करते थे और कहते थे कि दहेज कम लाई हो, कुछ समय पूर्व उसके पित सिवता को पितन बनाकर ले आये हैं, जिसके पश्चात से ससुरालवालों का बर्ताव उसके लिये बदल चुका है और वह उसे पैसों एवं दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते हैं, घटना दिनांक 12.03.2016 को दिन के करीब 12:00 बजे जब वह घर पर थी तो उसके पित पूर्व की बातों को लेकर उसे लकड़ी से मारपीट करने लगे तथा शेष आरोपीगण ने भी हाथ—मुक्कों से मारपीट कर धक्का—मुक्की की, आरोपीगण उसे जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे और वह जान बचाकर पड़ोस के घर में चली

गई, जिसके बाद उसने फोन पर माता—िपता को घटना की जानकारी दी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

07— साक्षी ज्योति बोपचे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति—पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते है, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह आरोपीगण के साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपीगण द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है और ना ही कोई प्रताड़ना दी जाती है। वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

साक्षी ज्योति बोपचे अ.सा.०१ ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया 08-है कि घटना के समय उसका आरोपीगण से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते है, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह आरोपीगण के साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपीगण द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है और ना ही कोई प्रताड़ना दी जाती है। वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। फरियादी ज्योति बोपचे अ.सा.०१ घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी ज्योति बोपचे के पति व नातेदार होते हुए फरियादी ज्योति बोपचे से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताङ्गित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 09- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 11— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

